



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1150/2026

Mohabbat Ali S/o Shokat Khan, Aged About 33 Years, Resident Of Phuliya Gate, Kayamkhani Mohalla, Shahpura, Police Station Shahpura, District Bhilwara. (At Present Lodged In Sub Jail Shahpura)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1151/2026

Faiyaz S/o Ajiz Khan, Aged About 27 Years, Resident Of Galiya Ghati, Bichiwada, Police Station Falasiva, Udaipur, At Present Resident Of Malla Tallai Sajjannagar, Udaipur, Police Station Ambamata, Distt Udaipur. (At Present Lodged In Sub Jail Shahpura)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. RS Charan
For Respondent(s)	:	Mr. Sameer Pareek, PP Mr. Chandra Prakash

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

01. प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से जमानत के दोनों आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 282/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम के मामले में प्रस्तुत हुए हैं।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।



03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का तर्क है कि इस मामले में आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। पुलिस द्वारा अपनी तपतीश में स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि सालिम उर्फ बिच्छु ने देशी पिस्तौल से सलीम खान को जान से मारने की नियत से घटना को अंजाम देकर कार में बैठकर फरार हो गये। इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही मोहब्बत के साथ आये व्यक्तियों द्वारा फायर करने का आरोप लगाया गया है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इस मामले में मुख्य अभियुक्त सालिम उर्फ बिच्छु होना बताते हुए जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में फयाज के विरुद्ध 19 मुकदमें पूर्व में लंबित है और प्रार्थी-अभियुक्त मोहम्मद अली ही पिस्तौल खरीद कर लाया था, जिसके द्वारा सहअभियुक्त द्वारा फायर करना अनुसंधान में पाया गया है।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। इस मामले में मुख्य रूप से फायर करने का आरोप सहअभियुक्त सलीम उर्फ बिच्छु पर है जो इस मामले में मुख्य अभियुक्त है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **1. मोहब्बत अली पुत्र शोकत खां, 2. फयाज पुत्र अजीज खान** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त एक-एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J